

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 4.0873 हैक्टेयर में से रकबा 1.3678 हैक्टेयर पश्चिमि भाग, खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0058 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0510 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मूलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 4.0873 हैक्टेयर में से रकबा 1.0360 हैक्टेयर मध्य भाग, खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0051 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0182 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0303 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 4.0873 हैक्टेयर में से रकबा 1.6835 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0055 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0203 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 609/2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से रकबा 0.0306 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन कि स्थिती में रहन यथावत रहेगी। सूचित रहे।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पिडी प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा निर्णय आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 16.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल